

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फारमोक : एफ 4 (126) नियाशि / अनु/03 / 1374

दिनांक : 22.5.13

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

पश्चास	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय / संकाय
126	वीणा भेमोरियल डिग्री कालेज, वीणा मार्ग, करोली	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्ण संचालित विषय संकलन

- संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी।
- संकाय / विषयावार रीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा। इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्ता भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का नियंत्रण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय / नगर नियोजन विभाग द्वारा रखीखूत मानविकारों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सब्र में कन से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूनीसी योग्यताकारी प्राधार्य व व्याख्याता तथा अन्य आवैदप्रिक रूपों की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का वाहित संस्था का रहेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था निदेशालय से सांखिकी पुस्तिका प्रतिग्राह प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करवायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस / एन०सी०री / रोटिंग एवं रेजिंग (रकाउट / गाईड) में से किसी भी एक सहीकारी गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।


निदेशक
कालेज शिक्षा राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी संघिय, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संघिय, प्रमुख शासन संघिय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेजटर, करोली।
- कुल संघिय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- संघिय, सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- सांखिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- प्रशिक्षण पत्रायली।


समुक्त निदेशक (अनुदान)